ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

(6)

आर0ई0आर0 केश नं0– 116/16–17

प्रदीप चौबे उर्फ जालीम चौबे बनाम् नंद किशोर यादव

5/6/18

–: आदेश :–

वर्त्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

उक्त बहस तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा मौजा–कुसमीघाट नं0–377, जमाबंदी नं0–21, दाग नं0–38, रकवा– 01–00–16 धूर तथा दाग नं0–168, रकवा– 00–18–05 धूर के 1/3 हीस्सेदार हैं, से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु आवेदन दिया गया है। जबकि विपक्षी द्वारा यह बताया गया है कि विवादित भूमि में से 06 कट्ठा के अंदर मकान मय सहन बन हुआ है तथा उन्हें दिनांक–23.01.2014 को बनाये गये शपथ के द्वारा जालिम चौब, पे0–रामनाथ चौबे के द्वारा यह स्वीकारोक्ति की गई है कि नंद किशोर यादव के नाम से उक्त भूमि का दखल पाया गया है। इस हेतु उन्होंने न केवल बराबर हित प्राप्त करते रहे बल्कि आपसी सामंजस बनाकर परिवार की सदस्य की तरह रहने लगे। विगत कुछ वर्षो से अनावश्यक राशि की मांग की जाने लगी। उभय पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि पर विपक्षी का मकान बना हुआ है। उक्त भूमि Occupancy right प्राप्त होने के बाद उसका स्वत्व बदल जाता है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि C.W.J.C. 1970 of 1975 Blswasnath Ghirla Vs. The State of Bihar & other में यह निदेशन है कि section 42 of the Act does not apply as it is not an ejectment of a person from agricultural land. It is an ejectment of a person from a house. it is an admitted position that the house is in existence since 1953. Eviction from the house is not contemplated under the provision of section 42. I, therefore hold that even if the provisions of the Homestead Tenancy Act. do not apply to the Santhal Pargana in my opinion , section 42 does not apply for eviction from a house. प्रथम पक्ष द्वारा इस प्रकार का कोई निदेशन बहस के कम में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विपक्षी को उक्त निर्मित मकान से उच्छेद किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विपक्षी को मौजा–कुसमीघाट नं0–377, जमाबंदी नं0–21, दाग नं0–38, रकवा– 01–00–16 धूर तथा दाग नं0–168, रकवा– 00–18–05 धूर भूमि पर बने मकान को छोड़कर शेष भूमि से उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को निदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर अवस्थित मकान के क्षेत्रफल की संगणना मापी कराकर करेंगे तथा अवशेष भूमि का दखल आवेदक को दिलाकर न्यायालय को सूचित करेंगे।

लेखापित।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।